माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया, सी.जे., एस.सी.मित्तल और आर.एन. मित्तल के समक्ष

सुरिंदर कुमार और अन्य - याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता।

1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 6549
15 दिसंबर, 1978।

पंजाब आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य सेवा तृतीय श्रेणी 3 ए) नियम 1956 - नियम 5, 6 और 13 - नियम 6 सेवा में भर्ती के लिए कोटा प्रणाली प्रदान करता है - पदोन्नति के लिए घूर्णी प्रणाली - क्या नियम में पढ़ा जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब आबकारी और कराधान विभाग (राज्य सेवा वर्ग III ए) नियम 1956 के नियम 6 में प्रावधान है कि सरकार यह निर्धारित करेगी कि वह कैडर में रिक्तियों को किस तरह से भरेगी। नियम की भाषा से स्पष्ट है कि सरकार को विवेकाधिकार दिया गया है कि वह जिन स्त्रोतों से भर्ती करना चाहती है, उन्हीं स्त्रोतों से भर्ती करे। तथापि, सरकार पर एक प्रतिबंध लगाया गया है जिसे उक्त नियम के परंतुक में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सीधी भर्ती करने वालों और पदोन्नति पाने वालों के बीच का अनुपात आधा और आधा रहेगा और विभिन्न स्त्रोतों से पदोन्नति पाने वालों के बीच का अनुपात भी निर्धारित सीमा ओं के भीतर रहेगा। यह नियम स्पष्ट रूप से पदोन्नति के लिए घूर्णी प्रणाली प्रदान नहीं करता है। यह केवल सेवा में विभिन्न स्त्रोतों से अधिकारियों के लिए कोटा शामिल करता है। यदि घूर्णी प्रणाली को परंतुक में पढ़ा जाए, तो मुख्य नियम मृत अक्षर बन जाता है क्योंकि उस स्थिति में सरकार के पास रिक्तियों को उस तरह से भरने का कोई विवेकाधिकार नहीं बचता है जिस तरह से वह करना चाहती है। यदि नियम 6 के परंतुक को नियम के प्रकाश में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि परंतुक में 'रिक्तियों' शब्द का अर्थ 'कैडर पद' होगा। यदि 'कैडर पद' शब्द को 'रिक्तियों' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परंतुक को मुख्य नियम के अनुरूप पढ़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर, नियम 13 में प्रावधान है कि विभिन्न संवर्गों के सदस्यों के बीच वरिष्ठता की गणना उनके पदों पर शामिल होने की तारीख से की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, कैडर के सदस्य जो उनके लिए निर्धारित रिक्तियों में पहले शामिल हुए थे, वे बाद में शामिल होने वालों से वरिष्ठ होंगे। यदि कोटा नियम में रोटेशनल सिस्टम को पढ़ा जाना है या रिक्तियों को भरने के समय रोस्टर तय किया जाना है तो नियम 13 अपना महत्व खो देता है। इसलिए पदोन्नति के लिए रोटेशनल प्रणाली को कोटा नियम में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(पैरा 5,7 और 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

i. जहां तक पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिवादियों की नियुक्ति को नियमित करने वाले आदेश अनुलग्नक 'पी-5' को रद्द किया जाता है, उसे रद्द करने के लिए एक रिट जारी की जाए;
ii. जहां तक पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिवादियों की नियुक्ति को नियमित करने वाले आदेश अनुलग्नक 'पी-5' को रद्द किया जाता है, उसे रद्द करने के लिए एक रिट जारी की जाए;
iii. (प्रतिवादियों को कोटा नियम से जुड़े वरिष्ठता नियमों को पढ़ने और जय सिंघानी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, सेवा नियमों के तहत प्रदान किए गए प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के रोटेशन के आधार पर वरिष्ठता तय करने का निर्देश देने वाली रिट, जारी किया जाए;

iv. परमादेश की प्रकृति में एक रिट जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं को आबकारी और कराधान अधिकारियों के पदों पर उस तारीख से पहले की तारीख से विचार करें और पदोन्नत करें, जब याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ उत्तरदाताओं 4 से 64 में से किसी को पदोन्नत किया गया था;

v. मामले का रिकॉर्ड भेजने का आदेश दिया जाए;

vi. याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए;

आगे प्रार्थना की जाती है कि:-

a) अनुलग्नकों की मूल प्रमाणित प्रतियां संलग्न करने की शर्त को हटा दिया जाए;

b) प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की शर्त को हटा दिया जाए क्योंकि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं के पास प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए कोई समय नहीं बचा है, जैसा कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत आवश्यक है, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने फाइल पर आदेश पारित किए हैं और उन्हें किसी भी समय जारी किए जाने की संभावना है;

c) रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आबकारी और कराधान अधिकारियों के पदों पर प्रतिवादियों 17 से 24 की पदोन्नति पर रोक लगाई जाए;

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 100 हरियाणा लोक सेवा आयोग को प्रतिवादी संख्या 18 से 35 तक की नियमित नियुक्तियों को पिछली तारीख से मंजूरी देने से रोका जाए।

कुलदीप सिंह, एडवोकेट आरएस मोंगिया, एडवोकेट; याचिकाकर्ता के लिए।
प्रतिवादी की ओर से एस.सी. मोहनता, ए.जी. के साथ नौबत सिंह, सीनियर डी.ए.जी.
प्रतिवादी संख्या 20 के लिए केएस कुंडू, वकील।
प्रतिवादी संख्या 18 और 23 के लिए जेएल गुप्ता, वकील।
प्रतिवादी संख्या 45 की ओर से आर पी साहनी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल।
आर पी साहनी, वकील, प्रतिवादी संख्या 24 के लिए। आरपी बाली, एडवोकेट।

माननीय न्यायमूर्ति आर.एन. मित्तल

1) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 से 64, हरियाणा राज्य में सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी हैं और पंजाब आबकारी और कराधान विभाग (राज्य सेवा वर्ग III-ए) नियम, 1953 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित हैं। सहायक आबकारी और कराधान अधिकारियों के पदों पर भर्ती के तीन स्रोत हैं - पहला, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा; दूसरा, आबकारी निरीक्षकों और कराधान निरीक्षकों के संवर्गों से पदोन्नति द्वारा; और तीसरा, आबकारी और कराधान विभाग के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के सदस्यों का स्थानांतरण। संदर्भ की सुविधा के लिए, मैं पहली श्रेणी को 'सीधी भर्ती' के रूप में और बाद की दो श्रेणियों को 'पदोन्नति' के रूप में संदर्भित करूंगा। याचिकाकर्ता सीधी भर्ती हैं जबकि प्रतिवादी संख्या 4 से 64 पदोन्नत हैं।

2) पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद, हरियाणा राज्य को आबकारी और कराधान अधिकारियों के 42 पद आवंटित किए गए थे, जिनमें से 36 अधिकारियों को आवंटित किया गया था - 5 सीधी भर्ती और 31 पदोन्नति। समय-समय पर सेवा में निरीक्षकों और मंत्रालयी प्रतिष्ठानों के बीच से भर्ती की जाती रही लेकिन जून, 1972 तक कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। नवम्बर, 1966 से 1972 तक, कैडर की ताकत अलग-अलग समय पर बढ़ाई गई और वर्ष 1972 में यह 97 हो गई। उपरोक्त पदों के विरुद्ध 68 पदोन्नत अधिकारी और 29 सीधी भर्ती वाले अधिकारी कार्य कर रहे थे। यह उल्लेख किया गया है कि 10 जून, 1975 को प्रतिवादी संख्या 18 से 35 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम तिथि (अनुबंध पृष्ठ 5) के आदेश के तहत नियमित किया गया था, जो उन तारीखों से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है, जब

उन्हें मूल रूप से उन रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था जो उस समय सीधी भर्ती के लिए आरक्षित थीं। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि निजी प्रतिवादियों को पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था जब तक कि सीधी भर्ती उपलब्ध नहीं कराई गई थी और उन्हें उस अवधि की सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है जब वे उन पदों पर काबिज थे जो सीधी भर्ती के कोटे में आते थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में कोटा नियम रोटेशनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि वे प्रतिवादी संख्या 4 से 64 से वरिष्ठ हैं और चाहते हैं कि उनकी वरिष्ठता तदनुसार तय की जाए। राज्य की ओर से अलग-अलग रिटर्न दाखिल किए गए हैं और कुछ निजी प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाए गए रुख को प्रभावित किया है।

3) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नियमों का नियम 6, जो सेवा में नियुक्ति से संबंधित है, कोटा नियम प्रदान करता है। उनके अनुसार यदि चक्रीय प्रणाली को कोटा नियम के साथ नहीं पढ़ा जाता है, तो नियम अर्थहीन हो जाता है। उनका तर्क है कि नियम 6 की भाषा भी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि घूर्णी प्रणाली को कोटा नियम में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क है कि कोटा नियम रोटेशनल सिस्टम से स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। वे आगे तर्क देते हैं कि नियम 6 में घूर्णी प्रणाली प्रदान नहीं की गई है और इसलिए, इसे इसमें पढ़ा नहीं जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि नियम बनाने वाला प्राधिकरण चाहता है कि घूर्णी प्रणाली को नियम 6 में पढ़ा जाना चाहिए, तो उसने ऐसा प्रावधान किया होगा। वर्तमान मामले में, उनके अनुसार, नियम 6 में घूर्णी प्रणाली का आयात करना गलत होगा।

4) विद्वान वकील की दलीलों की जांच करने से पहले, नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों को संक्षेप में संदर्भित करना उचित होगा। नियम 5 भर्ती की विधि, नियम 6 सेवा में नियुक्ति और नियम 13 वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है। नियम 5 में प्रावधान है कि सेवा के सदस्यों की भर्ती की जाएगी: (क) आबकारी निरीक्षकों और कराधान निरीक्षकों के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा; (ख) आबकारी और कराधान विभाग के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के सदस्यों का स्थानांतरण करके और (ग) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। नियम 6 और 13 वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। ये निम्नानुसार पढ़ें:-

> 6. सेवा में नियुक्ति - जब कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है। सेवा, सरकार यह निर्धारित करेगी कि इसे किस तरीके से भरा जाएगा:
> बशर्ते कि 50% रिक्तियां सीधी नियुक्ति से, 25% कराधान निरीक्षकों की पदोन्नति से, 12 J% आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति से और 12J% आबकारी और कराधान विभाग के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के सदस्यों के स्थानांतरण से भरी जाएंगी।
> 13. वरिष्ठता - प्रत्येक संवर्ग में सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण सेवा के उस संवर्ग में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से किया जाएगा:
>
> परन्तु प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सदस्यों के मामले में आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में वरिष्ठता निर्धारण में गड़बड़ी नहीं की जाएगी और शीघ्र चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।
>
> बशर्ते कि एक ही तारीख को नियुक्त किए गए दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी

5) निर्धारण के लिए उठने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कोटा नियम में घूर्णी प्रणाली को पढ़ा जाना है। नियम 6 में प्रावधान है कि सरकार यह निर्धारित करेगी कि वह संवर्ग में रिक्तियों को किस प्रकार से भरेगी। नियम की भाषा से स्पष्ट है कि सरकार को उन स्त्रोतों से भर्ती करने का विवेकाधिकार दिया गया है जिनसे वह भर्ती करना चाहती है। तथापि, सरकार पर एक प्रतिबंध लगाया गया है जिसे उक्त नियम के परंतुक में शामिल किया गया है। यह है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति पाने वालों के बीच का अनुपात आधा और आधा रहेगा और विभिन्न स्त्रोतों से पदोन्नति पाने वालों के बीच का अनुपात भी निर्धारित सीमा ओं के भीतर रहेगा। नियम 6 स्पष्ट रूप से घूर्णी प्रणाली प्रदान नहीं करता है। यह केवल सेवा के कैडर में विभिन्न स्त्रोतों से अधिकारियों के लिए कोटा शामिल करता है।

6) कुलदीप सिंह ने जोरदार तर्क दिया है कि नियम सेवा के पद में कोटा प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह रिक्तियों को भरने के समय कोटा प्रदान करता है। वह प्रस्तुत करता है कि यदि नियम को इस तरह से पढ़ा जाना है तो घूर्णी प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए अन्यथा कोटा नियम निरर्थक हो जाता है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने परंतुक में 'रिक्तियों' शब्द पर जोर दिया है और प्रस्तुत किया है कि यदि सरकार का इरादा कैडर में कोटा बनाए रखना था, तो परंतुक में 'रिक्तियों' शब्द के स्थान पर 'कैडर पद' शब्द का उपयोग किया गया होगा।

7) मैंने श्री कुलदीप सिंह के तर्क पर सोच-समझकर विचार किया है लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। यदि इस परंतुक को श्री कुलदीप सिंह के अनुसार पढ़ा जाना है तो मुख्य नियम मृत पत्र बन जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार के पास रिक्तियों को उस तरह से भरने का कोई विवेकाधिकार नहीं बचता है जिस तरह से वह करना चाहती है। यह व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को परंतुक को एक सीमित अर्थ देना चाहिए ताकि इसे नियम के दायरे में लाया जा सके। यदि एक परंतुक को दो व्याख्याएं दी जा सकती हैं, तो न्यायालय को उसे प्राथमिकता देनी चाहिए जो इसे नियम के दायरे में लाती है। एक परंतुक नियम को योग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके अलावा इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए, परंतुक को नियम के प्रकाश में माना जाना चाहिए, न कि परंतुक के प्रकाश में नियम। यदि, वर्तमान मामले में, नियम 6 के परंतुक को नियम के प्रकाश में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि परंतुक में 'रिक्तियों' शब्द का अर्थ 'कैडर पद' होगा। यदि 'कैडर पद' शब्द को 'रिक्तियों' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परंतुक को मुख्य नियम के अनुरूप पढ़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं। नियम निर्माताओं की मंशा नियम की भाषा से स्पष्ट है कि वे संवर्ग में कोटा प्रदान करना चाहते थे।

8) उपरोक्त दृष्टिकोण को नियम 13 के पठन से भी समर्थन मिलता है, जो वरिष्ठता से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक संवर्ग में सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता सेवा के उस संवर्ग में पद पर निरंतर सेवा की अवधि से निर्धारित की जाएगी। नियम से पता चलता है कि विभिन्न संवर्गों के सदस्यों के बीच वरिष्ठता की गणना उनके पदों पर शामिल होने की तारीख से की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, कैडर के सदस्य जो उनके लिए निर्धारित रिक्तियों में पहले शामिल हुए थे, वे बाद में शामिल होने वालों से वरिष्ठ होंगे। यदि रोटेशनल सिस्टम को कोटा नियम में पढ़ा जाना है या रिक्तियों को भरने के समय रोस्टर तय किया जाना है, तो नियम 13 महत्व खो देता है। यह विधियों की व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि विभिन्न नियमों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। नियम 6 और नियम 13 को सामंजस्यपूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है, जब तक कि इन्हें उपर्युक्त तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। अत, मेरा विचार है कि रोटेशनल प्रणाली को कोटा नियम में नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि नियम 6 में प्रावधान किया गया है।

9) उपर्युक्त दृष्टिकोण में मैं एनके चौहान बनाम भारत में की गई टिप्पणियों से दृढ़ हूं। गुजरात राज्य एआईआर 1977 एस.सी. 251 और नरेंद्र सिंह राव बनाम गुजरात हरियाणा राज्य

1978 (1) एसएलआर 284 (एफ.बी.)। एन. के. चौहान के मामले (सुप्रा) में, कृष्णा अय्यर, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि:-

> "उन्होंने कहा, 'अब हम कोटा और रोटा के अधिक पेचीदा सवाल की ओर बढ़ते हैं. श्री गर्ग आग्रह करते हैं कि कोटा प्रणाली में घूर्णी यांत्रिकी अंतर्निहित है और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इस निवेदन को आगे बढ़ाने के लिए वह उस बात पर भरोसा करता है जिसे वह 'कोटा' के नियम की सही कमान के रूप में प्रतिपादित करता है।"

अपीलकर्ताओं के लिए श्री पारेख द्वारा प्रस्तुत प्रति-दृष्टिकोण यह है कि कोटा और रोटा अविभाज्य रूप से विभाजित नहीं हैं और अलग-अलग और अलग-अलग हैं। वर्तमान मामले में, उनके अनुसार, 'रोटा' आयात करना एक त्रुटि है, जहां नियम ने शासी सिद्धांत के रूप में केवल 'कोटा' का उल्लेख किया है।

यहां हम इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय को विशेष ध्यान में रखते हुए यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि 'कोटा' 'रोटा' के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि जहां पहले को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, वहां उत्तरार्द्ध को निहित रूप से अंकित किया गया है। आइए हम थोड़ा तर्क दें। एक कोटा आवश्यक रूप से भर्ती के एक से अधिक स्रोतों को दर्शाता है। लेकिन क्या यह उस तरीके की मांग करता है जिसमें भर्ती के बाद प्रत्येक स्रोत प्रदान किया जाना है, विशेष रूप से वरिष्ठता के मामले में? क्या कोटा रोटा से अलग नहीं रह सकता? आप प्रत्येक श्रेणी के लिए कोटा तय कर सकते हैं लेकिन यह प्रविष्टि को ठीक करता है। कोटा पद्धति अपने आप में कई रूप ले सकती है- रिक्ति-वार अनुपात, कैडर संरचना-वार अनुपात, अवधि-वार या संख्या-वार विनियमन। असंख्य तरीकों की कल्पना की जा सकती है। घूर्णी या रोस्टर प्रणाली प्रवेश पर अधिकारियों के प्लेसमेंट का पता लगाने का एक सामान्य और आसानी से समझा जाने वाला तरीका है। यह कोड में एकमात्र मोड नहीं है और इसे अपरिहार्य परिणाम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि इतना तार्किक है, तो यहां जो किया गया है वह कानूनी है। निस्संदेह, श्री गर्ग की आलोचना यह है कि वरिष्ठता के प्रावधान के बिना मात्र कोटा व्यवहार्य नहीं है और यदि नियम में इससे अधिक कुछ नहीं पाया जाता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि जब भी कोटा भरा जाना है, प्रत्येक पद पर लागू हो जाए। यदि प्रशासन की अनिवार्यता रिक्ति में त्वरित पोस्टिंग की मांग करती है और एक स्रोत (यहां सीधी भर्ती) कुछ समय के लिए सूख गया है, तो उचित तरीका यह है कि सीधी भर्ती की प्रतीक्षा की जाए और उसे कोटा रिक्ति के रूप में प्रवेश की अनुमानित तारीख दी जाए और तात्कालिक पदोन्नति के माध्यम से सरकार के पहियों को आगे बढ़ाने का प्रबंधन किया जाए। स्पष्ट रूप से अस्थायी अधिभोग से बहने वाले अधिकारों से इस तरह के तदर्थवाद को छीनना। हमने पहले इसी सबमिशन को थोड़ा अलग रूप में निपटाया है और इसे खारिज कर दिया है। इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जाना बाकी है।

कोटा नियम अनिवार्य रूप से रोटा नियम के आवेदन को लागू नहीं करता है। इस स्थिति का प्रभाव यह है कि यदि 1960 के बाद के वर्षों में पर्याप्त संख्या में सीधी भर्ती नहीं की गई है और उन कमी वाली रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरा

गया है, तो बाद में सीधी भर्ती उस समय से सेवा में वरिष्ठता के लिए नियुक्ति की "डीम्ड" तारीखों का दावा नहीं कर सकती है। रोटा या बारी के अनुसार, सीधी भर्ती की रिक्ति उत्पन्न हुई। वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक सेवा की अवधि पर निर्भर करेगी और खुले बाजार से बाद में आने वाले लोगों से परेशान नहीं हो सकती है, जिस हद तक किसी भी अतिरिक्त पदोन्नति को नीचे धकेलना पड़ सकता है जैसा कि पहले संकेत दिया गया था।

10) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि श्री कुलदीप सिंह ने जयसिंघानी बनाम जयसिंघानी पर भरोसा किया था। भारत संघ (3). उस मामले को नोटिस करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "जयसिंघानी (ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1427) (सुप्रा) जिसने बिशन सरूप गुप्ता बनाम भारत के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखा है। भारत संघ, (1975) सुप एससीआर 491= (एआईआर 1972 एससी 2627) और भारत संघ बनाम बिशन सरूप गुप्ता (1975) 1 एससीआर 104 = (एआईआर 1974 एससी 1618) [यदि कोई जयसिंघानी (सुप्रा) से निकलने वाले दो मामलों को इस तरह से संदर्भित कर सकता है], को बार में दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित किया गया है। रामास्वामी जे. की इस मजबूत टिप्पणी के लिए श्री गर्ग ने इस बात पर भरोसा किया था कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन का पहला अनिवार्य है, जिस पर हमारी संवैधानिक प्रणाली आधारित है। उन्होंने उस फैसले में सरकार को दिए गए सुझाव की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि भविष्य के वर्षों के लिए सीधी भर्ती और प्रोमो टी के बीच कोटा तय करने के लिए एक उचित नियम बनाकर रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।"

> हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हमारी संवैधानिक प्रणाली को मनमानी शक्ति से बहुत एलर्जी है, लेकिन सरकार के खिलाफ वर्तमान मामले में कुछ भी मनमाना नहीं है। जयसिंघानी (सुप्रा) में दूसरा अवलोकन एक सुझाव का है कि भविष्य के वर्षों के लिए रोटा के साथ कोटा को जोड़ने वाली रोस्टर प्रणाली को सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है। यह किसी मौजूदा नियम की व्याख्या नहीं है और न ही कानून के शासन को निर्धारित करना है, इसलिए हमारे पास वर्तमान मामले पर लागू करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि सरकार को इतना ही उचित समझा जाता है, तो वह वरिष्ठता को विनियमित करने के लिए रोस्टर प्रणाली को शामिल करते हुए एक विशिष्ट नियम बना सकती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वरिष्ठता आधिकारिक अनुभव की अभिव्यक्ति है - प्रशासन द्वारा सिविल सेवकों की वर्षों से सेवा के चयापचय की प्रक्रिया और इसलिए, यह उचित है कि जहां तक संभव हो वह वास्तव में लंबे समय तक सेवा करने वाला भविष्य में बेहतर लाभ उठाए। इसके अलावा, उत्कृष्टता की खोज को समानता के नियम से एक झटका मिलता है और राज्य प्रशासनिक दक्षता की हानि के बिना दो मानदंडों के बीच एक सुखद संतुलन बनाने में कड़ी मेहनत करता है। मोटे तौर पर, न्यायालय को उदार और चौकस होना चाहिए जहां क्षेत्र मुश्किल या संवेदनशील है, क्योंकि अदालत की रिट द्वारा प्रशासन अच्छी तरह से गड़बड़ हो सकता है। उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि जयसिंघानी का मामला (सुप्रा) अलग है और श्री कुलदीप सिंह इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह राव के

मामले (सुप्रा) में, पी. सी. जैन, जे. ने एन. के. चौहान के मामले (सुप्रा) में टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि अगर नियमों में रोटेशनल सिस्टम का प्रावधान नहीं किया गया है तो इसे कोटा नियम में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह कहना प्रासंगिक होगा कि विद्वान न्यायाधीश ने 3 नवंबर, 1976 को श्री कुलदीप सिंह द्वारा संदर्भित 1974 के एलपीए 560 पर नोटिस दिया और कहा कि इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली कि कोटा नियम में घूर्णी प्रणाली को पढ़ा जाना चाहिए। उपर्युक्त मामलों से, यह स्पष्ट है कि जब तक नियमों में घूर्णी प्रणाली प्रदान नहीं की जाती है, इसे कोटा प्रणाली के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

11) इसके बाद कुलदीप सिंह द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए नियुक्त पदोन्नति को ऐसी जगह पर धकेल दिया जाना चाहिए जहां उन्हें उनके कोटे में रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सके। उन्होंने एके सुब्रमण्यन बनाम भारत का उल्लेख किया। भारत संघ (5), जिसमें उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। उस मामले में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति दो स्रोतों से थी, अर्थात्, सहायक अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता से। कार्यपालक अभियंताओं की रिक्तियां एक स्त्रोत से भरी गई थीं। न्यायालय की ओर से बोलते हुए गोस्वामी ने कहा कि यदि स्थिति की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, सहायक कार्यकारी अभियंता के कोटे से संबंधित दो रिक्तियों को पात्र सहायक कार्यकारी अभियंताओं की उपलब्धता के अभाव में सहायक अभियंताओं द्वारा भरा जाना था, तो ऐसी दो रिक्तियों को भरने के लिए सहायक अभियंताओं की नियुक्ति अनियमित होगी। क्योंकि यह उनके कोटे से बाहर होगा और उस स्थिति में उन्हें बाद के वर्षों में धकेलना होगा जब वर्षों के लिए उनके वैध कोटा में शामिल होने के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति को नियमित किया जा सकता है। राज्य की वापसी में भी इसी तरह का रुख अपनाया गया है। रिटर्न में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 18 से 35 को सीधी भर्ती के लिए बने पदों के खिलाफ तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन बाद में प्रोमोटियों के कोटे के लिए कुछ पद उपलब्ध हो गए और उन्हें उन पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया। यह भी कहा गया है कि उक्त प्रतिवादियों की वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए उनके कोटे में रिक्तियों के लिए समायोजित की गई तारीख को ध्यान में रखा गया था, न कि उससे पहले की अवधि के दौरान जब वे सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदों के खिलाफ तदर्थ आधार पर आबकारी और कराधान अधिकारी के रूप में बने रहे। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची में एक नोट दिया गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण उनके कोटे के प्रो-मोटियों के नियमित पदों पर सीधी भर्ती से पहले पदोन्नत तदर्थ आबकारी और कराधान अधिकारियों के समायोजन के संबंध में निर्णय लेने के बाद किया जाएगा।

12) याचिकाकर्ताओं के वकील कुलदीप सिंह ने सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए इस बिंदु को विस्तार से नहीं बताया था। यह विवादित नहीं है कि अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है। वरिष्ठता सूची तैयार करते समय सरकार एके सुब्रमण्यन के मामले (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखेगी।

13) अंत में श्री कुलदीप सिंह द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वरिष्ठता सरकार द्वारा सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी। उन्होंने हरियाणा सरकार के अनुलग्नक पी-5 के आदेश को चुनौती दी है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह विवादित नहीं है, कि अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है। प्रासंगिक तथ्यों के अभाव में, इस मामले से निपटना संभव नहीं होगा। तथापि, सरकार उपर्युक्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद वरिष्ठता निर्धारित करेगी। सरकार के

लिए यह भी उचित होगा कि वह अंतिम रूप से उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने से पहले पक्षकारों को सुने।

14) ऊपर दर्ज कारणों के लिए रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।
एस. सी. मित्तल, जे. मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी